झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...70... वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्रा०-लोगांई, पं०-पड़रिया, प्र०-राजमहल, जिला- साहेबगंज।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि 27/12/2023.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, साहेबगंज।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–70/2023

परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–20.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख है कि परिवादीगण को माह अगस्त एवं सितम्बर का राशन वितरण नहीं किया गया है। यह भी कि इनके द्वारा पूर्व में विभिन्न स्तरों पर आवेदन दिया गया किन्तु इसपर कार्रवाई नहीं हुई।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx167